मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 4, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की गिरफ्तारी पर प्रश्नकाल में पुनः चर्चा की अनुमति नहीं देने विषयक

प्रश्नकाल के दौरान, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने संबंधी प्रकरण की आज पुन:चर्चा करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि –

विपक्ष को कल इस मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया जा चुका है इसलिए आज पुन: इसको प्रश्नकाल में उठाना अनुचित है, अन्यथा प्रश्नकर्ता सदस्यों के अधिकारों का हनन होगा। अत: इस पर आज चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल चलने हेतु विपक्ष के सदस्यगण से अनुरोध किया गया, किन्तु आसंदी की व्यवस्था की अवहेलना करने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 10.36 बजे 1 घन्टे के लिए स्थगित की जाकर 11.36 बजे पुन: समवेत हुई ।

2. प्रश्नोत्तर

सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण सदस्यों द्वारा आज तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 79 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की गिरफ्तारी संबंधी चर्चा की पुनरावृत्ति करने पर, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से आपत्ति व्यक्त की गई। अध्यक्ष महोदय ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा बिना अनुमति कथित अंशों को विलोपित करने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि "नियम यह है कि एक बार किसी विषय पर अध्यक्ष की व्यवस्था आ जाने पर उस पर फिर बहस करना वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। अदालत की किसी भी कार्यवाही पर इस सदन में बहस नहीं हो सकती है। इस विषय में पूर्व में ही कल दिनांक 22 फरवरी, 2012 को, प्रजातंत्र की मूल भावना के अनुरूप विपक्ष के सदस्यों को सहिष्णुता एवं उदारतापूर्वक अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देकर इस पर अध्यक्षीय व्यवस्था भी दी जा चुकी है। इस बजट सत्र में जनहित के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा होना है। इसलिए इसी विषय पर आज चर्चा की पुनरावृत्ति करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। अत: यह अनुरोध है कि अब सदन की कर्यवाही आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया जाए।"

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए। व्यवधान के चलते, कार्यवाही जारी रही)

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा गरीबों से लाखों रूपये मांगे जाने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम शहर में हाई मॉस्ट लैम्प न लगाये जाने से दुर्घटनाएं होने,
(3) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य की मुरैना जिले के वार्ड क्रमांक 39 में विद्युत तार टूटे होने से दुर्घटनाएं होने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के ग्राम दलौदारेल में नलजल योजना का क्रियान्वयन न होने,
(5) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की मुरैना जिले के सबलगढ़ अटराघाट पर पेन्ट्रन ब्रिज चालू न किये जाने,
(6) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के पचोर सोयत मार्ग स्थित शहरी क्षेत्र में सी.सी. रोड का निर्माण करने,
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में अवैध वाहनों का संचालन होने,
(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा ट्रांसपोटर्स का भुगतान न करने,
(9) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक 36 में पुलिस थाना न होने तथा
(10) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली के मकरोनिया स्थित हाऊसिंग बोर्ड की दीनदयाल कालोनी में गंदगी होने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(3) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2010-11 पटल पर रखा।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

7. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड एवं दतिया में नील गायों द्वारा फसल नष्ट किये जाने तथा

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने मंदसौर जिले में गलघोंटू नामक बीमारी से पशुओं की मौत होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं संबंधित सदस्यों के गर्भगृह में होने के कारण उनके द्वारा नहीं पढ़ी गईं।

8. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 2012 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012	30 मिनिट
2.	वर्ष 2011-12 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने अभी जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति ने शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2012 को चर्चा के लिये आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु तथा निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-1)	श्री यादवेन्द्र सिंह	1 घन्टा
2.	(क्रमांक-2)	श्री नरेन्द्र त्रिपाठी	30 मिनट
3.	(क्रमांक-13, 21)	सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह, विश्वास सारंग	1 घन्टा

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मण्डला)
(2) श्री परसराम मुदगल (जिला-मुरैना)
(3) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
(4) श्री सुखदेव पांसे (जिला-बैतूल)
(5) श्री दीपक सक्सेना (जिला-छिंदवाड़ा)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची के पद 6 तक सभी प्रस्तावों पर चर्चा हो चुकी है।

सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 11.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 5, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 23 फरवरी, 2012